(शिकायत संख्या एस–11–सी–0368/2025)

श्री नौशाद अहमद बनाम जनसूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–लखनऊ।

समक्ष–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से श्री आशीष कुमार, सचिव, ग्राम पंचायत–अमेठिया सलेमपुर, विकास खण्ड–काकोरी, जनपद–लखनऊ उपस्थित हुए। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता ने ग्राम अमेठिया में पटाखा गोदाम से चकरोड तक सम्मिलित करते हुए सड़क, स्ट्रीट लाइट एवं नाली के निर्माण एवं चकरोड के सम्बन्ध में सूचनाएं मांगी हैं।

जनसूचना अधिकारी तहसीलदार, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि मूल आवेदन में शिकायतकर्ता ने जिस प्रकार की पृच्छा की है, उसका सम्बन्ध खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड–काकोरी, जनपद–लखनऊ के स्तर से अपेक्षित है।

आज सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी सचिव, ग्राम पंचायत–अमेठिया सलेमपुर, विकास खण्ड–काकोरी, जनपद–लखनऊ ने अवगत कराया कि शिकायतकर्ता को पत्र दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं, जिसकी एक प्रति आयोग की पत्रावली पर संचित है। उनका यह भी कथन है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्ययोजना कमांक 10 पर सम्पर्क मार्ग किसान पथ हाईवे से झील तालाब तक गाटा संख्या–875 सम्मिलित है, जिसमें कुछ पुराने वृक्ष लगे हुए हैं और इण्टरलॉकिंग कार्य कराने हेतु वृक्षों का हटाया जाना आवश्यक है, इस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ का दिनांक 25.03.2026 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः न्यायहित में **जनसूचना अधिकारी सचिव, ग्राम पंचायत–अमेठिया सलेमपुर, विकास खण्ड–काकोरी, जनपद–लखनऊ, तहसीलदार, तहसील–सदर, जनपद–लखनऊ एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ** को इस आशय की नोटिस निर्गत की जाए कि आपस में समन्वय स्थापित कर 15 दिन के भीतर संशोधित सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराएं अन्यथा ''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' की धारा 20(1) के अन्तर्गत रु0 25,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 24.06.2026 को प्रस्तुत हो।

21.04.2026